(भारत सरकार का एक उद्यम)

(A Government of India Enterprise)

ईसीजीसी लिमिटेड

10वीं मंज़िल, एक्सप्रेस टॉवर्स

नरीमन पॉइंट

मुंबई-400021

सी आई एन संख्या U74999MH1957GOI010918

ईसीजीसी लिमिटेड में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अंतर्गत सचिवीय लेखा परीक्षा के अनुपालन हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन ।

बोली प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 जनवरी 2019 शाम 1700 बजे

अनुक्रमणिका

क्रसं	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	मुख्य पृष्ठ	**1**
2.	अनुक्रमणिका	**2**
3.	अस्वीकरण	**3**
4.	प्रस्तावना	**4**
5.	बोली हेतु आमंत्रण	**4**
6.	लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र	**4**
7.	समय सीमा	**5**
8.	पात्रता	**6**
9.	निबंधन एवं शर्तें	**6 - 10**
10.	प्रस्तुत करने की विधि	**11**
11.	अनुलग्नक	**12 - 42**

अस्वीकरण

- इस प्रस्ताव हेतु निवेदन दस्तावेज़)आरएफ़पी दस्तावेज़ /बोली दस्तावेज़ (में वर्णित सूचनाएं अथवा इस अनुक्रम में ईसीजीसी द्वारा मेल अथवा दस्तावेज़ के रूप में निविदाकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सूचनाएँ इस आरएफ़पी दस्तावेज़ में उपलब्ध नियम एवं शर्तों के अधीन उपलब्ध कराई जा रही है।

- यह आरएफपी दस्तावेज न तो अनुबंध है एवं न ही प्रस्ताव है बल्कि ईसीजीसी की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक निविदाकर्ताओं के लिए केवल एक आमंत्रण है। इस आरएफपी दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकर्ता को प्रस्तावों के निर्माण में सहायता हेतु को सूचनाएं प्रदान करना है और संभव है कि इसमें उनके द्वारा वांछित सभी सूचनाएं शामिल न हों।

- ईसीजीसी इस आरएफपी दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए किसी भी विधान, क़ानून, नियम या अधिनियमों के अंतर्गत कोई देयता नहीं रखेगा। ईसीजीसी अपने पूर्ण विवेक में, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी भी बाध्यता के बिना, इस आरएफपी दस्तावेज़ में जानकारी को अद्यतित, संशोधित या पूरित कर सकता है।

- ईसीजीसी के पास इस आरएफ़पी दस्तावेज के उत्तर में प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों / प्रस्तावों को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताए अस्वीकार करने के समस्त अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में ईसीजीसी का निर्णय अंतिम, निर्णायक एवं सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा। प्रस्ताव हेतु निवेदन दस्तावेज़ के उत्तर में निविदाकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी ईसीजीसी की संपत्ति बन जाएगी और इसे वापस नहीं किया जाएगा। इस आर एफ पी एवं इसमें उल्लेखित सूचना को इसमें निर्धारित रूप में ही उपयोग में लाया जाएगा।

- यह आर एफ पी सद्भाव से तैयार की गई है, न तो ईसीजीसी और न इसका कोई भी कर्मचारी इस आरएफपी दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए अभिव्यक्त या निहित रूप में निरूपित नहीं करता है अथवा वारंटी नहीं देता है।

क. प्रस्तावना

ईसीजीसी लिमिटेड) इसके बाद इसे ईसीजीसी/कंपनी बुलाया जाएगा) भारत सरकार के पूर्णस्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। ईसीजीसी की स्थापना वर्ष 1957में भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफ़ायती बीमा एवं संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय के निर्यात उद्योग की सहायता करने के उद्देश्य से हुई।

यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है और इसका प्रबंधन सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग, बीमा और निर्यातक समुदाय के प्रतिनिधियों के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है।

इन वर्षों से, ईसीजीसी द्वारा भारतीय निर्यातकों और निर्यात ऋण जारी करने वाली वाणिज्यिक बैंकों की आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न निर्यात ऋण जोखिम बीमा उत्पादों का विकास किया गया है।

ख. <u>वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन (आर एफ पी)</u>

1. <u>बोली आमंत्रण</u>

वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु कंपनी सचिव फ़र्मों से ईसीजीसी तकनीकी एवं वित्तीय बोलियाँ आमंत्रित करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के साथ पढे जाने वाले कंपनी के नियम 9 (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 (कृपया अनुलग्नक VII देखें) में उल्लिखित आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु यह लेखापरीक्षा आयोजित किया जाना है। फर्म को अपनी रिपोर्ट निर्धारित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट के प्रारूप (कृपया अनुलग्नक VIII देखें) में ही प्रस्तुत करनी होगी।

ग. <u>लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र</u>

1. चयनित बोलिकर्ता को (i) कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत नियमों के तहत; (ii) आई सी एस आई द्वारा प्रवर्तित सचिवीय मानकों, संशोधनों सहित, यदि कोई हो, के अनुपालन में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी; एवं

2. कंपनी पर केंद्रीय/राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों के लागू होने वाले अन्य क़ानून/विधि/नियम/विनियम/ दिशानिर्देश / निर्देश आदि, यदि कोई हो, अधिनियमों / नियमों आदि की सूची सहित **अनुलग्नक I** में दिए गए हैं।

3. इस कार्यक्षेत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान वैधानिक गैर-अनुपालन / आंशिक अनुपालन / अतिक्रमों का पता लगाना ।

4. उपरोक्त 1 व 2 सहित ईसीजीसी द्वारा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और प्रणाली को परिभाषित करना जो सुधारात्मक उपाय लागू करने में सहायक हो।

नोट : वर्तमान में ईसीजीसी लिमिटेड किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचित नहीं है अतः कृपया रिपोर्ट उसी अनुसार प्रस्तुत की जाए।

घ. समय सीमा

क्र सं	**विवरण**	अनुसूची, दिनांक/ समय
1	**ईसीजीसी की वैबसाइट पर आर एफ पी जारी करने की तारीख (www.ecgc.in)**	**08.01.2019**
2	**बोलीकर्ताओं से स्पष्टीकरण हेतु मेल द्वारा प्रश्नों*/निवेदनों को प्राप्त करने का अंतिम तिथि** **(ईमेल के अतिरिक्त किसी भी अन्य माध्यम जैसे फोन अथवा अन्य कोई माध्यम से प्राप्त होने वाले प्रश्नों पर विचार नहीं किया** जाएगा)	**16.01.2019**
3	**बोली प्राप्त करने की अंतिम तारीख़**	**22.01.2019**
4	तकनीकी बोली खोलने की तारीख एवं समय	**यथासमय वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी**
5	वित्त बोली खोलने की तारीख एवं समय	**यथासमय वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी**
6	बोली का अंतिम चयन	**यथासमय वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी**

नोट : संविदा प्रक्रिया को किसी भी समय किसी भी चरण में विस्तार/संशोधन/रद्द करने का अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित हैं।

संपर्क एवं बोली प्रस्तुत करने हेतु पता	कंपनी सचिव कंपनी सचिवालय विभाग, ईसीजीसी लिमिटेड, 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टॉवर्स,नरीमन पॉइंट,
* संपर्क एवं प्रश्न भेजने हेतु ईमेल आई डी	cs@ecgc.in

ड़. पात्रता

1. आई आर डी ए आई, आर बी आई, सेबी, आई सी ए आई, आई सी एस आई, सी एंड ए जी, एन सी एल टी, डी पी ई एवं एन सी एल ए टी इत्यादि सहित किसी भी विनियामक प्राधिकारी/एजेंसी द्वारा फर्म को प्रतिबंधित/वर्जित/ब्लैकलिस्टेड न किया गया हो।

2. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख तक (भारतीय कंपनी सचिव संस्थान से पंजीकरण की तारीख से) फ़र्म के पास न्यूनतम पाँच वर्षों का कार्य का अनुभव होना चाहिए।

3. फर्म का मुंबई में फिजिकल ऑफिस होना चाहिए।

च. निबंधन एवं शर्तें

1. आर एफ पी के संबंध में स्पष्टीकरण एवं संशोधन

बोलिकर्ता "समयसीमा" में उल्लेखित तारीख एवं समय तक ईमेल के जरिए स्पष्टीकरण प्राप्त आकर सकते हैं ।

यह नोट किया जाए कि आर एफ पी के संबंध में सभी प्रश्न, स्पष्टीकरण, सवाल, तकनीकी या अन्य कोई, केवल लिखित में ही होने चाहिए एवं निम्न पर भेजें जाएँ :

कंपनी सचिवालय विभाग : cs@ecgc.in

ईसीजीसी किसी भी कारण, चाहे वह अपनी पहल पर या बोलीकर्ताओं से मांगे गए प्री-बिड प्रश्नों/ स्पष्टीकरण/णों के जवाब में, संशोधन/परिशिष्ट/ शुद्धि पत्र आदि के द्वारा आरएफपी विवरण को संशोधित कर सकता है। इसे अपनी वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी बोलीकर्ता से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2. बोली की वैधता अवधि

बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद कम से कम 90 दिनों तक वैध रहेगी। उपरोक्त वैधता आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाली किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार ईसीजीसी सुरक्षित रखता है। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

3. निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन

जो बोलीकर्ता इस आर एफ पी के तहत बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं, वे ध्यान दे कि वे इस आर एफ पी में निहित सभी निबंधनों और शर्तों का पालन (सच्चे इरादे और भावना से) करें। यदि बोलियों में बोलीकर्ताओं द्वारा कोई बाह्य शर्त लगाई जाती हैं, तो ऐसी बोलियों को अपात्र घोषित किया जाएगा और उन पर चयन प्रक्रिया के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

4. मुख्य समझौते का कार्यांवयन तथा गैर-प्रकटीकरण समझौता

चयनित बिडर को मुख्य समझौते (एतस्मिनपश्चात "पीए" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) निष्पादित करने की आवश्यकता होगी, जिसका मसौदा अनुलग्नक VI में संलग्न किया गया है, जिसमें चयनित बिडर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा सभी सेवाएं की नियम और शर्तें शामिल हैं एवं जैसा ईसीजीसी द्वारा निर्धारित या अनुशंसित किया जा सकता है। चयनित बिडर द्वारा यहां उल्लिखित आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर बिडर के अंतिम चयन के बारे में संचार की तारीख से दो सप्ताह के भीतर पीए को निष्पादित करना होगा। चयनित बोलीदाता को यहां उल्लिखित आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने पर, बोलीदाता के अंतिम चयन के संचार की तारीख से दो सप्ताह के भीतर ईसीजीसी के साथ एक गैर-प्रकटीकरण समझौते (एनडीए) को निष्पादित करना होगा।(अनुलग्नक IX का संदर्भ ले)

5. विधियों एवं मानकों का अनुपालन

चयनित बोलिकर्ताओं को विभिन्न विनियामक, सांविधिक एवं शासकीय प्राधिकारियों द्वारा जारी सभी लागू कानूनों एवं नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों को मानना होगा एवं इनका अनुपालन करना होगा। चयनित बोलिकर्ता को आई सी एस आई द्वारा समय समय पर जारी व्यावसायिक मानकों का अनुपालन भी करना होगा।

6. असाइनमेंट नही

चयनित बोलीकर्ता द्वारा न तो आगामी अनुबंध, और न ही आगामी अनुबंध के तहत दिए गए किसी भी अधिकार को, पूरे या हिस्से में, असाइनमेंट द्वारा हस्तांतरित अथवा दुरुपयोग किया जा सकता है। चयनित बोलीकर्ता द्वारा आगामी अनुबंध के लिए आवश्यक किसी भी कार्य, सेवा या अन्य कार्य को करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त किसी और को उप-अनुबंध या अनुमति नहीं देगा।

7. संविदा की अवधि

सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में चयनित बोलीकर्ता की नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए तथा इसे उसी वार्षिक शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों पर दो साल के लिए नवीकरणीय किया जा सकता है, जो कि लागू नियमों या विधियों में परिवर्तन के अधीन होगा; और साथ ही चयनित बोलीदाता द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन पर भी निर्भर होगा। नवीनीकरण दोनों पक्षों की सहमति से होगा।

8. प्रासंगिक व्यय

वित्तीय बोली के अनुसार चयनित बोलीकर्ता द्वारा कोट किए गए शुल्क के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। सभी आकस्मिक और सहायक व्यय जैसे यात्रा व्यय, आवास और बोर्डिंग, आदि, केवल इन तक सीमित नहीं है को व लेखापरीक्षा टीम के सभी संबंधित खर्चों को चयनित बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।

9. रिपोर्टिंग विधि :

चयनित बोलिकर्ता को **अनुबंध VIII** में दिए गए निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगी।

10. शुल्क अथवा भुगतान

निर्धारित समय सीमा के भीतर लेखा परीक्षा कार्य के संतोषजनक समापन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर शुल्क एकल भुगतान में देय होगा।

11. सुधार, त्रुटि, भूल एवं चूक

बोलिकर्ताओं से अनुरोध है कि वे वित्तीय बोली सहित बोली दस्तावेज जमा करते समय सावधानी बरतें। हमारे पास बोलियों की प्राप्ति के बाद कोई सुधार, त्रुटियां, भूल और चूक पर विचार नहीं किया जाएगा।

12. समापन

यदि बाद के किसी भी चरण में पाया जाता है कि लेखापरीक्षा फर्म इस आरएफपी के नियमों और शर्तों, जिसमें निरंतर पात्रता आवश्यकताएं शामिल हैं, का अनुपालन नहीं करता है तो लेखापरीक्षा फर्म की नियुक्ति के अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, ।

13. अन्य शर्तें

यदि आरएफपी की आवश्यकताओं के अनुरूप या उपयुक्त नहीं पाए जाने पर स्वविवेकाधिकार से आर एफ पी की निबंधन एवं शर्तों में संशोधन/सुधार/रद्द करने एवं इस आर एफ पी को किसी भी स्तर पर आंशिक अथवा पूर्ण रूप से रद्द करने के पूर्ण एवं बिना शर्त के सभी अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित हैं एवं इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। कंपनी कोई भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। कंपनी इस आर एफ पी के अंतर्गत किसी भी बोलीकर्ता से कोई भी सेवा नहीं लेने का निर्णय ले सकती है। कंपनी को आवेदकों को आपत्ति के अधिकार के बिना पूरी बोली प्रक्रिया को फिर से जारी करने या फिर से आरंभ करने का अधिकार भी सुरक्षित है। इस संबंध में कंपनी का कोई भी निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी बोलीकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

(I) बोलियाँ रद्द की जा सकती हैं यदि :

क बोलिकर्ता के प्राधिकारी हस्ताक्षरकर्ता द्वारा ठीक से/विधिवत हस्ताक्षर नहीं किए गए हों।

ख अंतिम तारीख और समय की समाप्ति के बाद प्राप्त हुआ हो। यदि आर एफ पी जमा करने की अंतिम तिथि कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण छुट्टी होती है तो अगले कार्य दिवस पर आर एफ पी सुबह 11:00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकती है।

ग इस आरएफपी के संदर्भ में आवश्यक दस्तावेजों / सूचनाओं के बिना अपूर्ण होने पर।

घ अनुचित अथवा गलत सूचना देने पर

ङ किसी भी प्रकार की कैनवासिंग करने पर

च बोलिकर्ताद्वारा ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा मांगी गई अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में देरी करने पर

छ बोली सशर्त होने पर .

ज मुहरबंद नहीं होने पर

झ एक ही बोलिकर्ता से कई बोली प्राप्त होने पर

ञ अन्य बोलिकर्ताओं के साथ कार्टेल बनाने पर

(II) तकनीकी बोलियों के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर बोलीदाताओं को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। केवल इन शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी। वित्तीय बोली खोलने की तारीख को ईसीजीसी लिमिटेड की वेबसाइट पर नियत समय पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(III) आर एफ पी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होने वाली बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, ईसीजीसी की किसी भी आवश्यकता में किसी भी समय छूट देने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(IV) अनुबंध से पहले, बिना प्रभावित बोलीदाता (ओं) के प्रति कोई देनदारियां के, किसी भी समय आरएफपी प्रक्रिया को रद्द करने का पूर्ण अधिकार ईसीजीसी के पास सुरक्षित है। ईसीजीसी द्वारा, अपने स्वविवेकाधिकार से, बोली रद्द होने के कुछ संभावित कारण चिन्हित किए गए हैं, परंतु कारण केवल इन तक सीमित नहीं हैं :

क अप्रत्याशित कारणों और / या नए परिवर्तन के कारण कार्य क्षेत्र पर्याप्त रूप से या स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया हो

ख प्रस्तावित शुल्क असाइनमेंट / प्रोजेक्ट के लिए आनुपातिक नहीं होने पर

ग अन्य कोई कारण

(V) अनुबंध सहित बोली का हिस्सा बनने वाले सभी पृष्ठों को बोलीदाता की ओर से प्राधिकृत प्रतिनिधि / हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।

(VI) बोलीकर्ता प्रस्ताव तैयारी के संबंध में ईसीजीसी के उपयुक्त प्राधिकारी से समक्ष प्रस्तुति देने, यदि आवश्यक हो, यात्रा, इत्यादि सभी खर्चों को स्वयं वहन करना होगा। ईसीजीसी चयन प्रक्रिया के आयोजन या परिणाम की परवाह किए बिना, ऐसी लागतों के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।

(VII) चयनित बोलीकर्ता को ईसीजीसी लिमिटेड के साथ एक अप्रकटीकरण समझौते पर सहमत होना चाहिए और हस्ताक्षर करना चाहिए।

(VIII) बोलीकर्ता की ओर से उल्लंघन / विफलता के कारण ईसीजीसी लिमिटेड को होने वाली हानि या क्षति या लागत या परिणाम के लिए होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति बोलीकर्ता को करनी होगी एवं करते रहना होगी।

(IX) चयनित बोलीकर्ता या उसके किसी भी साथी या उनके किसी भी कर्मचारी को किसी भी परिस्थिति में ईसीजीसी लिमिटेड के साथ कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी भी संबंध का विवरण बोली दस्तावेजों में किया जाए।

छ. <u>प्रस्तुत करने की विधि</u>

बोली दस्तावेजों को एक मुहरबंद मास्टर लिफाफे में उसके ऊपर "**ईसीजीसी लिमिटेड में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के अंतर्गत सचिवीय लेखा परीक्षा के अनुपालन हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव के लिए निवेदन**" लिखा हो, जिसमें दो मुहरबंद लिफाफे हो जिन पर बड़े अक्षरों में तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली लिखा में प्रस्तुत किया जाए।

1. <u>तकनीकी बोली</u>

तकनीकी बोली के अनुबंध III में मांगे गए अन्य दस्तावेजों सहित अनुबंध II के अनुसार तकनीकी बोली। तकनीकी बोली बोलीकर्ता की फर्म के लेटर हेड पर होना चाहिए, जिसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फर्म की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया गया हो।

2. <u>वित्तीय बोली</u>

वित्तीय बोली **अनुलग्नक IV** के अनुसार एक वर्ष के लिए असाइनमेंट की फीस, लागू कर, अन्य व्यय, यदि कोई हो, सभी को दिए गए प्रारूप में प्रस्तुत किया जाए।

अनुलग्नक ।

(कृपया पैरा ग.2 का संदर्भ लें)

लेखा परीक्षा के कार्यक्षेत्र का भाग के रूप में

1. कॉर्पोरेट कानून के अंतर्गत नियम और विनियम**,** यथाससमय संशोधित **–**

1. कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम ;
2. बीमा अधिनियम 1938 एवं बीमा (संशोधित) अधिनियम, 2015;
3. आई आर डी ए अधिनियम, 1999 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
4. सार्वजनिक उद्यम विभा (डी पी ई) दिशानिर्देश, 2010;
5. प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन
6. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
7. आयकर अधिनियम, 1961;
8. वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017;
9. संबन्धित राज्यों के अनुसार लागू व्यावसायिक कर;
10. संपत्ति कर अधिनियम, 1957;
11. प्रतियोगिता अधिनियम , 2002;
12. धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002;
13. महाराष्ट्र स्टैम्प अधिनियम/ भारतीय स्टैम्प अधिनियम
14. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005;
15. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948;
16. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976;
17. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;
18. उपादान का भुगतान अधिनियम, 1972;
19. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013;
20. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947;
21. मजदूरी का भुगतान अधिनियम, 1936;
22. अंतर-राज्य प्रवासी कामगार (रोजगार के नियम और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1979;

23. संविदा श्रमिक (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970;

24. बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986;

25. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

26. कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;

27. बोनस अधिनियम का भुगतान, 1965;

28. पेंशन निधि नियामक और विकास अधिनियम, 2013;

29. पेंशन अधिनियम, 1871;

30. रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959

31. अपरेंटिस अधिनियम, 1961

32. बॉम्बे शॉप एंड इस्टाब्लिशमेंट अधिनियम , 1948;

33. एम एस एम ई डी अधिनियम, 2006.

अनुलग्नक II

(पैरा च.**1**का संदर्भ लें**)**

(फर्म के पत्र शीर्ष पर**)**

तकनीकी बोली हेतु प्रोफार्मा

प्रति,

कंपनी सचिव

ईसीजीसी लिमिटेड

10 वां तल, एक्सप्रेस टावर्स, नरीमन प्वाइंट

मुंबई 400021.

महाराष्ट्र

भारत

क्रम सं.	विवरण	
1.	फर्म का नाम फर्म का पंजीकृत पता फर्म की प्रोफ़ाइल. (यदि आवश्यक हो, अतरिक्त पृष्ठ संलग्न करें) पंजीकरण की तिथि : (i) फर्म का संगठन, साझेदारी फर्म/प्रोपराइटरशिप /एल एल पी/कंपनी (ii) फर्म की स्थिति में, प्रतिनिधि साझेदार का नाम/ वैयक्तिका/ प्रमुख (iii) प्राधिकृत प्रतिनिधि/ हस्ताक्षरकर्ता का नाम तथा संपर्क विवरण (iv) लैंड लाइन(यदि कोई) (v) मोबाइल (vi)ईमेल आई डी	

2.	निम्नलिखित विवरण सहित निदेशकों/साझेदारों/व्यैक्तिक का नाम (i)योग्यता- a. शैक्षणिक b. व्यावसायिक (ii) अनुभव (iii) संपर्क विवरण a. लैंड लाइन(यदि कोई) b. मोबाइल c. ईमेल आई डी (iv)प्रैक्टिस आरंभ करने की तिथि (v) प्रैक्टिस के प्रमाणपत्र(सी.ओ.पी.) की संख्या/पंजीकरण संख्या तथा इसकी वैधता. (vi)वर्तमान में धारण पद (या तो कर्मचारी अथवा सलाहकार अथवा अन्य) जैसा भी लागू हो (vii) अन्य फर्म में धारण पद का विवरण, यदि कोई हो (कृपया दस्तावेज़ साक्ष्य संलग्न करें)	
3.	मुम्बई स्थित कार्यालय का विवरण पत्र व्यवहार का पता: - दूरभाष :	
4.	सार्वजनिक क्षेत्रों के बैकों तथा बीमा कंपनियों सहित मुख्य उपभोगताओं की सूची	
5.	योग्यता का विवरण यदि कोई हो.	
6.	स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध उन कम्पनियों की सूची जिनकी सचिवीय लेखा परीक्षा पिछले ५ वर्षों में पूरी की गयी हो |	

7.	(i) आईसीएसआई पंजीकरण की स्वप्रमाणित प्रति, (ii) क्रमवार पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लाभ-हानि बही की स्वप्रमाणित प्रति (iii) प्रैक्टिस प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति (iv) संलग्न प्रारूप में स्व-घोषणा (**अनुलग्नक V**), (v) फर्म का पैन (कृपया दस्तावेज़ी साक्ष्य संलग्न करें)	
8.	आईटीआर/बही पर आधारित फर्म के पिछले वर्ष का पर्णयावर्त a. कुल वार्षिक पर्णयावर्त	
9.	अन्य कोई सम्बंधित सूचना(यदि आवश्यक हो, अतरिक्त पृष्ठ	

घोषणा -

1. यहाँ मेरे/हमारे द्वारा उपरोक्त प्रस्तुत सूचनाएं सही हैं

2. मुझे/हमें, संलग्न सूचियों/अनुलग्नकों मेरे/हमारे द्वारा सूचीबद्ध कार्यों के संबंध में किये गए अन्नवेषण पर की आपत्ति नहीं है

3. मैंने / हमने बोली के सभी नियम और शर्तें और निर्देश पढ़ लिए हैं और जो मुझे / हमें स्वीकार्य हैं.

हस्ताक्षर:.....

प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पद:.....

बोलीकर्ता की मोहर:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

अनुलग्नक III

(पैरा च.**1** का सन्दर्भ लें**)**

चेकलिस्ट का प्रारूप

क्रम संख्या.	वांछित विवरण अथवा दस्तावेज	प्रस्तुत/संलग्न विवरण पर करें **(**टिक**)**		
		हाँ	नहीं	लागू नहीं
1.	फर्म का विवरण (नाम, पता, संपर्क विवरण आदि)			
2.	निदेशकों/साझेदारों का विवरण			
3.	मुंबई स्थित कार्यालय का विवरण			
4.	भारत तथा विदेशों में स्थित अन्य शाखाओं का विवरण			
5.	मुख्य उपभोक्ताओं की सूची			
6.	स्टॉक मार्केट में सूचीबद्ध ऐसी कंपनियों की सूची जिसकी लेखा परीक्षा फर्म द्वारा की गई हो			
7.	निदेशकों/साझेदारों की आई सी एस आई सदस्यता की स्वप्रमाणित प्रति।			
8.	फर्म के पिछले 3 वर्षो यथा वित्तीय वर्ष FY 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 के लाभ-हानि खाते तथा बही की स्वप्रमाणित प्रति			
9.	प्रैक्टिस के प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति			
10.	संलग्न प्रारूप में स्वघोषणा (अनुलग्नक - V)			
11.	फर्म के पैन की स्वप्रमाणित प्रति			
12.	फर्म के जी एस टी प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित प्रति			
13.	फर्म का पन्यावर्त- आईं टी आर के अनुसार			
14.	फर्म का बैंक खाता विवरण -रद्द किया हुआ चेक			

अनुलग्नक IV

(पैरा ज.**2**का संदर्भ**)**

(वित्तीय बोली का मसौदा**)**

क्रम सं.	विवरण	शुल्क रु में (अंको में) (कर के बिना) *
1.	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ईसीजीसी का सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु शुल्क	` /-

*कर का भुगतान उपरोक्त शुल्क से अलग किया जाएगा जो समय समय पर लागू होगा

कुल राशि शब्दों में: रु_____मात्र + लागू कर.

नोट:

1. उपरोक्त शुल्क संविदा के कुल समय सीमा हेतु वैध है तथा हमारे द्वारा भुगतान को लेकर किसी शीघ्रता की मांग नहीं की जाएगी
2. भुगतान आर पी एफ के अनुसार किया जाएगा
3. आकस्मिक व्यय हेतु किसी भुगतान की मांग संविदा की अवधि में हमारे द्वारा नहीं की जाएगी ।

हस्ताक्षर:.....

प्राधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता का नाम एवं पदनाम:.....

बोलीकर्ता की मोहर:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

(फर्म के पत्र शीर्ष पर)

अनुलग्नक **V**

(पैरा छ.**1** का संदर्भ**)**

घोषणा

मैं _____, **पुत्र/पुत्री श्री** _____, **में**_____ **के रूप में कार्यरत** (name of the Firm and address in full), एततद्वारा दृढ़तापूर्वक इस बात की पुष्टि करता हूँ तथा इस बात की घोषणा कर्ता हूँ मैं वित्तीय बिड पर हस्ताक्षर करने हेतु फर्म द्वारा प्राधिकृत हूँ| मैं एतद्द्वारा फर्म की ओर से यह प्रमाणित और स्पष्ट करता हूँ कि हम आरपीएफ में वर्णित प्रत्येक नियम व् शर्तें स्वीकार करते है तथा मेरी/हमारी बिड को स्वीकार किये जाने की स्थिति में हम आरपीएफ की प्रत्येक नियम व् शर्तों का अनुपालन करेंगे|

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेमर्स_____ (फर्म का नाम)/ इसके कोई साझेदार /संबंधी/कर्मचारी/प्रतिनिधि/एजेंट के साथ ईसीजीसी लिमिटेड/ईसीजीसी लिमिटेड कर्मचारी का कोई कर्मचारी-नियोक्ता संबंध नहीं होगा| मैं यह भी घोषणा करता हूँ हम/मैं ईसीजीसी लिमिटेड में किसी लाभ के पद पर नहीं हैं| मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि हमारी फर्म को इरडा, आरबीआई, सेबी, आईसीएआई, आईसीएआई, कैग, आईएआई, आईसीएसआई, एनसीएलटी आदि सहित किसी नियामक प्राधिकरण/एजेसी द्वारा प्रतिषिध/डिबार/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है|

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई / मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। यदि मेरे कार्य / मेरे द्वारा सूचीबद्ध ग्राहकों के बारे में पूछताछ की जाती है तो मुझे / हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

बिडर के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

सील एवं मोहर सहित

नाम:

पदनाम:

स्थान:

दिनांक:

<u>अनुलग्नक</u> <u>VI</u>

<u>(पैरा 6.4 का सन्दर्भ लें)</u>

प्रपठन

जहां पर ईसीजीसी ने आरपीएफ के माध्यम से ईसीजीसी की सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के लिए अनुरोध किया है|

और जहां फर्म ने लेखा परिक्षा के क्षेत्र के अनुसार सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव किया है एवं इस संविदा में निर्धारित सभी शर्तें वर्णित हैं।

और जहां ईसीजीसी ने मूल्यांकन शर्तों और आरएफपी की सभी शर्तों के अनुसार ऑडिट फर्म के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

अब यह संविदा निम्नलिखित है:

निम्नलिखित दस्तावेजों को इस अनुबंध अर्थात के भाग के रूप में समझा और पढ़ा और बनाया जाएगा।

(क) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए ईसीजीसी की सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के लिए फर्म की नियुक्ति हेतु आरएफपी दस्तावेज़.

(ख) बोली प्रस्तुत करने, बोली लगाने वालों के प्रश्नों, यदि कोई हो, से पहले ईसीजीसी के सचिवीय ऑडिट के संचालन के लिए फर्म की नियुक्ति के लिए आरएफपी दस्तावेज़ में सभी संशोधन।

(ग) ईसीजीसी द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र पत्र संख्या ………… दिनांकित ………… .और ईसीजीसी और लेखापरीक्षा के बीच सभी पत्राचार का आदान-प्रदान किया गया और नियुक्ति पत्र की तिथि तक फर्म के रूप में विशेष रूप से उक्त नियुक्ति पत्र में निर्दिष्ट किया गया है।

ईसीजीसी द्वारा फर्म को किए जाने वाले भुगतान पर विचार करने के लिए अनुबंध के प्रावधानों के अनुरूप सभी प्रकार से कार्यों को निष्पादित करने और पूरा करने के लिए ईसीजीसी के साथ फर्म द्वारा यहां उल्लेख किया गया है। ईसीजीसी इसके द्वारा आरएफपी में निर्धारित तरीके से प्रतिपक्ष प्रभार के कार्यों के पूरा होने पर विचार करने के लिए फर्म को भुगतान करता है।

परिभाषाएं:

अनुबंध का अर्थ है ईसीजीसी और फर्म के बीच समझौता, जैसा कि पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध फॉर्म में दर्ज किया गया है, जिसमें सभी संलग्नक और परिशिष्ट और संदर्भ के द्वारा शामिल सभी दस्तावेज शामिल हैं।

अनुबंध मूल्य से तात्पर्य अनुबंध के तहत फर्म के लिए देय मूल्य है जो उनके अनुबंध दायित्वों के पूर्ण और उचित प्रदर्शन के लिए है।

अनुबंध की अवधि / समय से तात्पर्य उस अवधि से है जिसके लिए फर्म ईसीजीसी द्वारा नियुक्त की गयी है यानी नियुक्ति पत्र जारी करने की तारीख से लेकर अंतिम ऑडिट रिपोर्ट के संतोषजनक जमा करने की तारीख तक।

गोपनीयता

बोलीकर्ता को अनुबंध / समझौते के तहत उनके द्वारा प्राप्त किसी भी जानकारी को गोपनीय रखा जाएगा, और हर समय ऐसी जानकारी के संबंध में गोपनीयता बनाए रखी जाएगा। ऑडिट फर्म को इस बात पर भी सहमत होना होगा:

1. केवल अनुबंध / समझौते के उद्देश्य से और ईसीजीसी द्वारा अनुमत तरीके से सूचना को बनाए रखने और उपयोग करने के लिए;

2. केवल ईसीजीसी की पूर्व लिखित सहमति के साथ प्रतियों के रूप में अधिकृत करने के लिए और उसी गोपनीय या मालिकाना नोटिस के साथ जो कि मूल रूप से मुद्रित या प्रदर्शित किया जा सकता है।;

3. इस तरह के अपने कर्मचारियों, एजेंटों तक पहुंच और प्रकटीकरण को प्रतिबंधित करने के लिए, इस खंड के अनुसार उनके द्वारा बताई गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और सभी सूचनाओं को गोपनीय जानकारी के रूप में रखने के लिए कड़ाई से "जानने की आवश्यकता" के आधार पर।.

क्षतिपूर्ति

फर्म द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन में किसी भी वैधानिक आवश्यकताओं के उल्लंघन / गैर-अनुपालन के कारण ईसीजीसी को हुए किसी भी नुकसान या क्षति, लागत या परिणाम के लिए क्षतिपूर्ति करेगी| फर्म की ओर से किसी भी लापरवाही या गलती के कारण ईसीजीसी को हुए नुकसान के लिए लेखा परीक्षा फर्म हमेशा ईसीजीसी के प्रति उत्तरदायी रहेगी और फर्म इस हेतु ईसीजीसी को क्षतिपूर्ति भी करेगी।

फर्म अपने कर्मियों की गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह है। फर्म अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए किसी भी कृत्य, कर्मों या चीजों के लिए सख्ती से उत्तरदायी होगी जो ईसीजीसी द्वारा जारी किए गए कार्य या प्राधिकरण के निर्देशों या निर्देशों के दायरे से बाहर है।

ईसीजीसी ले पास दायित्वों के प्रदर्शन में देरी की स्थिति में अनुबंध को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और देरी के लिए परिसमापन नुकसान का दावा भी कर सकता है। इस तरह की देरी के कारण, ईसीजीसी पर यदि कोई भी

दंड या जुर्माना लगाया जाता है, तो इसे मौद्रिक शर्तों पर फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

अप्रत्याशित घटना

आग, बाढ़, भूकंप या प्रकृति के समान तत्वों, या दैवीय आपदा, युद्ध, आतंकवाद, दंगों, नागरिक के कृत्यों के कारण किसी भी विफलता या देरी के कारण, अपने दायित्वों के प्रदर्शन में चयनित बोलीदाता या ईसीजीसी द्वारा कोई विफलता या देरी अथवा विकार, विद्रोह या क्रांतियां, गैर-प्रदर्शनकारी पार्टी के उचित नियंत्रण से परे सरकारी अधिकारियों या अन्य घटनाओं के कारण हुई देरी संविदा की समाप्ति के लिए एक डिफ़ॉल्ट या आधार नहीं होगा। प्रभावित पक्ष किसी अन्य पार्टी को अप्रत्याशित घटना के विषय में उचित समय अवधि के भीतर सूचित करेगा।

संविदा की समाप्ति

ईसीजीसी के पास फर्म को प्रद्दत अनुबंध को रद्द करने और निम्नलिखित परिस्थितियों में ईसीजीसी द्वारा किए गए व्यय की वसूली का अधिकार है::

1. यदि फर्म बोली के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करती है।
2. यह फर्म स्वेच्छा से या अन्यथा परिसमापन में चली जाती है।
3. बोली के प्रभाव पर लगाव सात दिनों की अवधि के लिए लगाया जाता है या जारी रखा जाता है।
4. यदि फर्म टेंडर में निर्धारित समय सीमाओं के अनुसार तथा अनुमोदित एक्सटेंशन, यदि कोई है, के अंतर्गत असाइनमेंट को पूरा करने में विफल रहती है और तो इसे अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। ईसीजीसी विलंब की स्थिति में आदेश को रद्द करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखा है और देरी के लिए परिसीमित नुकसान का दावा कर सकती है। इस तरह की देरी के कारण,

यदि ईसीजीसी पर कोई भी दंड या जुर्माना लगाया जाता है, तो फर्म द्वारा इसे मौद्रिक शर्तों में वहन किया जाएगा।.

5. यदि फर्म सेवाओं को निर्धारित करने में विफल रहती है, तो ईसीजीसी को फर्म के जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर वैकल्पिक स्रोतों से समान या समान सेवाओं की खरीद का अधिकार है।

6. अनुबंध प्रदान किये जाने के बाद, यदि फर्म संतोषजनक ढंग से प्रदर्शन नहीं करती है या अनुबंध के निष्पादन में देरी करती है, तो ईसीजीसी को इस हेतु एक महीने का नोटिस देकर अपनी पसंद के दूसरे पक्ष द्वारा निष्पादित शेष अनुबंध प्राप्त करने का अधिकार है। इस घटना में, फर्म अतिरिक्त व्यय करने के लिए बाध्य है, जिसे ईसीजीसी द्वारा शेष अनुबंध को निष्पादित करने के लिए व्यय करना पड़ सकता है। यह शर्त तभी लागू होती है, यदि किसी कारण से, अनुबंध रद्द हो जाता है

ईसीजीसी को फर्म द्वारा देय किसी भी राशि से देय किसी भी बकाया राशि को वसूलने का अधिकार सुरक्षित है, लेकिन लंबित बिल भी जिसमें शामिल हैं परन्तु यह यहीं तक सीमित नहीं है, ।.

<u>समाप्ति के परिणाम</u>

(क)किसी भी कारण से अनुबंध की समाप्ति की स्थिति में, [अनुबंध के निर्धारित अवधि के परिणाम के अनुसार या अन्यथा], ईसीजीसी ऐसे किसी भी दायित्वों और शर्तों को लागू करने और किसी भी स्पष्टीकरण जारी करने का हकदार होगा, जो सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकता है। सेवा के कुशल संक्रमण और प्रभावी व्यवसाय निरंतरता, जो ऑडिट फर्म के साथ अनुपालन करने के लिए बाध्य होगी और उस समाप्ति / उल्लंघन से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए सभी उपलब्ध कदम उठाएगी, और अगले उत्तराधिकारी बिडर को अपने दायित्वों को

पूरा करने की अनुमति देगा अनुबंध के दायरे के निष्पादन / निरंतर निष्पादन के संबंध में फर्म।

(ख) इस स्थिति में कि अनुबंध की समाप्ति अनुबंध की अवधि समाप्त होने के कारण है, ईसीजीसी द्वारा किसी भी (आगे) विस्तार नहीं देने का निर्णय, यहां की फर्म अगली उत्तराधिकारी बोलीदाता को ऐसी सभी सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगी। या किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है और जैसा कि ईसीजीसी निर्दिष्ट कर सकता है, उत्तराधिकारी को सेवा को पर्याप्त रूप से प्रदान करने में सक्षम करेगा, यहां तक कि जहां इस तरह की सहायता उचित अवधि के लिए प्रदान करने के लिए आवश्यक है.

ग) इसके समाप्त होने से पार्टी के किसी भी उपार्जित अधिकार या दायित्व को प्रभावित नहीं किया जाएगा और न ही अनुबंध के प्रावधानों के संचालन को प्रभावित किया जाएगा जो इस तरह के समाप्ति के बाद या उसके बाद आने या जारी रहने के लिए स्पष्ट रूप से या निहितार्थ से होते हैं।

शिकायत निवारण तंत्र

(क)दोनों पक्षों द्वारा किसी अन्य पक्ष को दिए जा रहे विवाद के बारे में लिखित समझौते के 30 दिनों के भीतर प्रत्यक्ष अनौपचारिक वार्ता, किसी भी असहमति या विवाद, के तहत या इस समझौते के संबंध में सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए पार्टियां हर संभव प्रयास करेंगी।.

(ख)ख) यदि, इस तरह के प्रत्यक्ष अनौपचारिक वार्ता के शुरू होने से तीस (30) दिन बाद, पार्टियां इस तरह के विवाद को सुलझाने में असमर्थ रही हैं, तो पार्टी को यह भी आवश्यकता हो सकती है कि विवाद को क्लोस में निर्दिष्ट औपचारिक तंत्र के समाधान के लिए संदर्भित किया जाए (सी)) और (डी)।

(ग) पार्टियां मध्यस्थता के लिए दूसरे से एक लिखित मांग प्राप्त करने के पंद्रह दिनों के भीतर एक एकल मध्यस्थ को सहमत और नियुक्त करेगी। इस तरह की नियुक्ति पर मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाएगा और इसमें एकमात्र मध्यस्थ होगा।

(घ) इस घटना में कि पक्ष लिखित मांग के पंद्रह दिनों के भीतर एक भी मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहते हैं, दावेदार (मध्यस्थता का अनुरोध करने वाली पार्टी) सात दिनों के भीतर अपने मध्यस्थ को नियुक्त करेगा और उसके बाद उत्तरदाता को लिखित नोटिस देगा (दूसरी पार्टी))। इस तरह के नोटिस प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर प्रतिवादी अपने मध्यस्थ को नियुक्त करेगा और दावे के लिए लिखित सूचना देगा। उत्तरदाता द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के सात दिनों के भीतर, दो नियुक्त मध्यस्थ तब एक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करेंगे। ट्रिब्यूनल का गठन तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति पर किया जाएगा और इस तरह की नियुक्ति पर तीनों एक साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन करेंगे।

(ङ) इस घटना में कि उत्तरदाता अपने मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहता है या दो नियुक्त मध्यस्थ एक पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफल रहता है, जिस तरह से, दावाकर्ता या उत्तरदाता जैसा भी मामला हो, लागू हो सकता है। मुंबई, भारत का उच्च न्यायालय और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति की जाएगी। किसी भी समय, मुंबई के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसी नियुक्ति से पहले, उत्तरदाता या मध्यस्थ डिफ़ॉल्ट रूप से मामला हो सकता है, ऐसी नियुक्ति कर सकता है।

(च)पक्ष, न्यायाधिकरण के गठन के पंद्रह दिनों के भीतर या ट्रिब्यूनल द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर अपने संबंधित मामले ट्रिब्यूनल को प्रस्तुत कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल इसके मामलों को प्रस्तुत करने से 30 दिनों के भीतर लिखित रूप से अपना फैसला देगा। ट्रिब्यूनल बहुमत से फैसला करेगा। अधिकांश मध्यस्थों द्वारा प्रदान किया गया निर्णय अंतिम होगा और उन पक्षों पर बाध्यकारी होगा जो इसे पूरा करने के लिए सहमति देते हैं। इस तरह का निर्णय किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे के खिलाफ हो सकने वाले मध्यस्थ विवाद से उत्पन्न कानूनी कार्रवाई के किसी भी अधिकार के लिए एक शर्त है। ट्रिब्यूनल प्रक्रिया या सबूत के किसी भी सख्त नियमों से बाध्य नहीं होना है। इसके पास किसी भी मामले में आदेश देने के लिए विवेकाधीन शक्ति सहित पंचाट की होल्डिंग के लिए सभी प्रक्रियात्मक नियमों को ठीक करने की शक्ति होगी, जो कि मामले की परिस्थितियों में उपयुक्तता, खोज, दस्तावेजों के निरीक्षण, परीक्षा के संबंध में उचित विचार कर सकता है। गवाहों और किसी भी अन्य मामले में जो भी मध्यस्थता के आचरण से संबंधित है और प्राप्त कर सकता है और इस तरह के साक्ष्य पर कार्रवाई कर सकता है कि मौखिक या लिखित सख्ती से स्वीकार्य है या नहीं जैसा कि उसके विवेक में फिट लगता है। ट्रिब्यूनल अपने विवेकाधिकार में इस तरह के आदेश और निर्देश दे सकता है क्योंकि यह विवाद में मामलों के अंतिम निर्धारण के लिए आवश्यक समझता है। ट्रिब्यूनल के पास इस तरह के आदेश या निर्देश बनाते समय मध्यस्थ प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कानून के तहत व्यापक विवेक होगा।

(छ)मध्यस्थता की सभी लागतें आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की जाएंगी, जो मध्यस्थता के स्थान के कानून और व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, किसके द्वारा और किस तरीके से भुगतान की जाएंगी।

(ज)मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996, तत्संबंधी नियम और उसमें कोई वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन, मध्यस्थता की कार्यवाही पर लागू होगा।

(झ)वाद का स्थान मुम्बई,भारत होगा।

(ञ)ईसीजीसी फर्म को 30 दिन का नोटिस देकर इस समझौते को खत्म कर सकेगा यदि फर्म द्वारा उपरोक्त धारा (ग) के अनुसार वाद के निर्णय का अनुपालन नही किया जाएगा।

इस समझौते के अनुक्रम में: इस तथ्य के बावजूद कि मध्यस्थता के तहत विवाद (यदि कोई हो) का निपटारा लंबित हो सकता है, तो संचालन के निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट के स्कोप के तहत प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के लिए पक्षकार द्वारा शासित किया जाता रहेगा।.

अधिकारिता

इस समझौते से सम्बंधित किसी भी वाद के निपटरे के लिये मुम्बई स्थित भारतीय न्यायालय की पूर्ण अधिकारिता है।

उपरोक्त वर्णित वर्ष तथा दिन को इन इन पक्षकारों के समक्ष एतद्वारा संबंधित सामान्य मुहरों को अपने यहां लगाया हैं (या यहां अपने संबंधित हाथों और मुहरों को सेट किया है)|

ईसीजीसी लिमिटेड का बाध्यकारी हस्ताक्षर लेखा परीक्षा फर्म का बाध्यकारी

हस्ताक्षर

गवाह

1.

2.

गवाह

1.

2.

अनुलग्नक VII

(पैरा ख.**1** का संदर्भ लें**)**

कम्पनी अधिनियम**,2013** की धारा 204

बड़ी कम्पनियों के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा

204. (1) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी और कंपनी के अन्य वर्ग से संबंधित एक कंपनी, जो निर्धारित की जा सकती है, धारा 134 की उप-धारा (3), एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, व्यवहार में एक कंपनी सचिव द्वारा दी गई बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी, इस तरह के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

(2) कंपनी के सचिव और संबंधित अभिलेखों का लेखा-जोखा करने के लिए कंपनी सचिव को व्यवहार में सभी सहायता और सुविधाएं देना कंपनी का कर्तव्य होगा।

(3) निदेशक मंडल ने धारा 134 की उप-धारा (3) के संदर्भ में की गई अपनी रिपोर्ट में, उप सचिव (1) के तहत अपनी रिपोर्ट में कंपनी सचिव द्वारा पूरी तरह से किसी भी योग्यता या अवलोकन या अन्य टिप्पणियों की व्याख्या करेगा। ।

(4) यदि कोई कंपनी या कंपनी का कोई अधिकारी या व्यवहार में कंपनी सचिव, इस अनुभाग के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो कंपनी, कंपनी का प्रत्येक अधिकारी या कंपनी सचिव, जो कि डिफ़ॉल्ट रूप से व्यवहार में है, को दंडित किया जाएगा, जो जुर्माना के साथ दंडनीय होगा एक लाख रुपये से कम नहीं, लेकिन जो पांच लाख रुपये तक बढ़ सकता है।

अनुलग्नक VIII

(पैरा ख.1 & एफ .9 का संदर्भ लें)

(सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन है:

नोट*:* कृपया उपरोक्त पैरा के संबंध में विशिष्ट गैर-अनुपालन / अवलोकन / ऑडिट योग्यता*,* आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी की रिपोर्ट करें।

मैं / हम आगे की रिपोर्ट करते हैं

कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड मीटिंग, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट जारी करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है जिसे कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था, और बैठक से पहले और एजेंडा आइटम पर अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को मिनटों के हिस्से के रूप में कैप्चर और रिकॉर्ड किया जाता है।

मैं / हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के साथ कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

नोट: कृपया बोर्ड संरचनाओं / प्रणाली और लेखापरीक्षा अवधि से संबंधित प्रक्रियाओं के संबंध में विशिष्ट टिप्पणियों / योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियों की रिपोर्ट करें।

मैं/ हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी के पास है _____

(उपरोक्त उल्लिखित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख असर डालने वाली विशिष्ट घटनाओं / कार्यों का विवरण दें।).

उदाहरणार्थ:

(i) शेयरों / बोनस शेयरों / डिबेंचर / पसीने की इक्विटी, आदि के सार्वजनिक / अधिकार / अधिमान्य मुद्दे

(ii) प्रतिभूतियों का मोचन / खरीद-वापसी

(iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के अनुपालन में सदस्यों द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय

जहां, पूर्वोक्त पार्टियों के बीच व्यापारिक संबंधों के दौरान, दोनों दलों ने स्वीकार किया है कि या तो पार्टी की पहुंच हो सकती है या किसी भी जानकारी का खुलासा किया है, जो कि किसी भी मोड के माध्यम से गोपनीय प्रकृति का है, और स्वीकार करते हैं कि खुलासा करने की आवश्यकता है इस तरह की एक और गोपनीय जानकारी, प्रत्येक पार्टी के लिए केवल व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है और ऐसी गोपनीय जानकारी को अनधिकृत उपयोग और प्रकटीकरण से बचाने के लिए।

अब इसके अलावा, इसमें दिए गए आपसी वादों को ध्यान में रखते हुए, जिस पर्याप्तता और पर्याप्तता पर विचार किया गया है, उसके माध्यम से इस बात को स्वीकार किया गया और सहमति दी गई, इस तरह से पक्षकार सहमत होते हैं:–

यह अनुबंध एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी गई सभी गोपनीय और मालिकाना जानकारी पर लागू होगा, जिसमें इस समझौते की कैप्शन परिभाषाओं 'में शामिल

जानकारी और अन्य जानकारी जो खुलासा करने वाली पार्टी लिखित रूप में पहचानती है या अन्यथा पार्टी को खुलासा करने वाली पार्टी द्वारा गोपनीय है। प्राप्त करने वाली पार्टी ("गोपनीय जानकारी")। सूचना किसी भी रूप या माध्यम में, मूर्त या अमूर्त हो सकती है, और लिखित रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से या दृश्य अवलोकन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से किसी एक पार्टी (प्राप्त करने वाली पार्टी) को अन्य पार्टी (प्रकटीकरण पार्टी) द्वारा संप्रेषित / खुलासा कर सकती है।)।

1. परिभाषाएं

(क)गोपनीय सूचना का अर्थ है, डिसॉलोजिंग पार्टी की सभी जानकारी जो व्यवसाय व्यवस्था के लिए प्राप्तकर्ता पार्टी के पक्ष में बताई गई है, चाहे मौखिक या लिखित या दृश्य अवलोकन के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड में शामिल हो और इसमें शामिल हो, लेकिन व्यापार रहस्य तक सीमित नहीं है, पता है- कैसे, आविष्कार, तकनीक, प्रक्रिया, योजना, एल्गोरिदम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, स्रोत कोड, सेमीकंडक्टर डिजाइन, योजनाबद्ध डिजाइन, व्यापार के तरीके, ग्राहक सूची, संपर्क, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन योजना तकनीक, योजना, डिजाइन, अनुबंध, वित्तीय जानकारी, बिक्री और विपणन की योजना, व्यापार की योजना, क्लाइंट, क्लाइंट डेटा, व्यावसायिक मामले, संचालन, रणनीति, आविष्कार, कार्यप्रणाली, तकनीक, कर्मचारी, उपठेकेदार, किसी भी और सभी समझौतों की सामग्री, सदस्यता सूची, फोटो फाइलें, विज्ञापन सामग्री, अनुबंध उद्धरण, दान अनुबंध, दस्तावेज, पासवर्ड, कोड, कंप्यूटर प्रोग्राम, टेप, किताबें, रिकॉर्ड, फाइलें और कर रिटर्न, डेटा, सेंट सांख्यिकी, तथ्य, संख्या, रिकॉर्ड, कार्यरत पेशेवरों, पत्राचार के साथ किया जाता है और इस तरह के

वकील, बीमांकिक, सॉलिसिटर, बैरिस्टर, अटार्नी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों, डॉक्टरों, लेखा परीक्षकों, जांचकर्ताओं, फोरेंसिक विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों के रूप में पेशेवरों से प्राप्त किया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत चिंतन, संचार के दायरे में आने वाले सभी मामले, राय, रिपोर्ट, भेजे गए और प्राप्त कानूनी नोटिस, क्लेम फाइलें, बीमा पॉलिसियां, उनकी दरें, लाभ, नियम, शर्तें, छूट, शुल्क, पत्राचार ग्राहकों / ग्राहकों या उनके प्रतिनिधियों के साथ, प्रस्ताव प्रपत्र, दावा-प्रपत्र, शिकायतें, मुकदमे, गवाही, किसी भी जांच से संबंधित मामले, दावे-नोट, न्यायालय की अदालत के सामने बचाव, न्यायिक निकायों या किसी प्राधिकरण के लिए न्यायिक , आयोग, मूल्य निर्धारण, सेवा प्रस्तावों, संचालन के तरीके, प्रक्रियाएं, उत्पाद और / या सेवाओं और व्यापार की जानकारी।

गोपनीय सूचना की उपरोक्त परिभाषा दोनों पक्षों पर समान रूप से लागू होती है; हालांकि, इसके अलावा, बिना किसी सीमा के, जहां खुलासा पार्टी ईसीजीसी है, धारा 8 या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के किसी अन्य प्रावधान के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त कोई भी जानकारी किसी भी समय किसी भी तीसरे पक्ष को प्राप्त करने वाली पार्टी द्वारा नहीं बताई जाएगी। ।

(ख) मेटीरियल का अर्थ है बिना किसी सीमा के, दस्तावेज, ड्राइंग, मॉडल, उपकरण, रेखाचित्र, डिज़ाइन और सूची जिसे डिस्क्लोज़िंग पार्टी द्वारा सुसज्जित किया गया है और रिसीविंग पार्टी द्वारा बनाई गई डिस्क्लोज़िंग पार्टी के गोपनीय के किसी भी ठोस अवतार को शामिल किया गया है।

2. वाचा का खुलासा नहीं करना

प्राप्त करने वाली पार्टी, डिस्क्लोजिंग पार्टी की गोपनीय जानकारी का उपयोग पूरी तरह से अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए करेगी और डिस्क्लोजिंग पार्टी के साथ वास्तविक या संभावित व्यावसायिक संबंधों को आगे बढ़ाने में करेगी। प्राप्तकर्ता पार्टी किसी भी तरह से गोपनीय जानकारी का उपयोग नहीं करेगी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकृति पार्टी या उसकी सहायक या सहयोगी कंपनियों के लिए हानिकारक है, और किसी भी अनधिकृत तीसरे पक्ष को गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करेगी। प्राप्त करने वाले पक्ष को अपने कर्मचारियों, अधिकृत एजेंटों, सलाहकारों और ठेकेदारों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करना होगा, यह जानने की आवश्यकता पर कि कौन ऐसे किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण या उपयोग से पहले है, जिसे प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में सहमति व्यक्त की गई है। इस अनुबंध में निर्दिष्ट उन लोगों के रूप में प्रतिबंधात्मक है।

इस संबंध में, प्राप्त करने वाली पार्टी और इस तरह के किसी भी व्यक्ति के बीच कोई भी समझौता किया गया है, जिसे उसके तुरंत बाद अस्वीकृति पार्टी को भेज दिया जाएगा। ऐसे व्यक्ति / व्यक्तियों को किसी भी गोपनीय जानकारी का खुलासा करने से पहले, प्राप्तकर्ता पार्टी उन्हें जानकारी की गोपनीय प्रकृति और गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण से बचने के लिए उनके दायित्व के बारे में सूचित करेगी। प्राप्त करने वाली पार्टी गोपनीय सूचना को सुरक्षित रखने में कम से कम समान देखभाल का उपयोग करेगी जैसा कि वह उपयोग करती है या अपनी स्वयं की गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखने में उपयोग करेगी, और गोपनीय जानकारी को किसी भी अनधिकृत या अनजाने उपयोग से बचाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। किसी भी स्थिति में, प्राप्त करने वाली पार्टी सभी उचित उपायों को नहीं लेती है जो समान प्रकार की अपनी जानकारी के लिए

उपयोग किए जाने वाले उपायों की तुलना में कम है। प्राप्त करने वाली पार्टी और उसके प्रतिनिधि तुरंत गोपनीय जानकारी के किसी भी उपयोग या प्रकटीकरण पार्टी को सूचित करेंगे जो इस समझौते द्वारा अधिकृत नहीं है। विशेष रूप से, प्राप्त करने वाली पार्टी गोपनीय जानकारी के किसी भी अनधिकृत उपयोग या प्रकटीकरण का खुलासा करने वाली पार्टी को लिखित रूप में तुरंत नोटिस देगी और इस तरह के अनधिकृत उपयोग या गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण को खारिज करने में खुलासा पार्टी की सहायता करने के लिए सहमत है।

प्राप्त करने वाली पार्टी और उसके प्रतिनिधि किसी भी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे, जिसमें किसी भी निगम, संप्रभु, साझेदारी, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, संस्था या व्यक्ति के बिना शामिल हैं-

(i) यह तथ्य कि पार्टियों के बीच वास्तविक या संभावित व्यापारिक संबंधों के संबंध में कोई भी जांच, चर्चा या वार्ता हो रही है,
(ii) इसने गोपनीय सूचना का अनुरोध किया है या प्राप्त किया है,अथवा
(iii) वास्तविक या संभावित व्यावसायिक संबंधों के बारे में कोई भी नियम, शर्तें या कोई अन्य तथ्य।

यह गोपनीयता दायित्व केवल उस सीमा तक लागू नहीं होगा, जब प्राप्तकर्ता पार्टी उसे प्रदर्शित कर सकती है:
(क) अस्वीकरण पार्टी की गोपनीय जानकारी, इस समझौते के प्रावधानों को भंग करने के अलावा, प्रकाशन के दौरान, सार्वजनिक डोमेन का हिस्सा, प्रकटीकरण के समय, या ठीक से बन गई है; अथवा
(ख) डिस्क्लोजिंग पार्टी द्वारा प्रकटीकरण से पहले प्राप्तकर्ता पार्टी या उसके प्रतिनिधियों द्वारा अधिकारपूर्वक हासिल किया गया था;

(ग) गोपनीय सूचना के संदर्भ के बिना पार्टी या उसके प्रतिनिधियों को प्राप्त करके स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया था; अथवा

(घ) डिसक्लोजिंग पार्टी की गोपनीय जानकारी का सरकारी एजेंसी द्वारा खुलासा किया जाना आवश्यक है, यह एक उप-विषय या अन्य कानूनी या प्रकटीकरण की मांग का विषय है; बशर्ते, कि प्राप्त करने वाली पार्टी ने प्रकटीकरण पार्टी को शीघ्र प्रकटीकरण की मांग की लिखित सूचना दी हो और प्राप्त पक्ष इस प्रकटीकरण से पहले एक उपयुक्त सुरक्षात्मक आदेश को सुरक्षित करने के पार्टी के प्रयासों का यथोचित सहयोग करता है.

(च) की पूर्व सहमति के साथ खुलासा किया गया है या विधिवत पार्टी द्वारा लिखित रूप में अधिकृत किया गया था.

3. सामग्रियों की वापसी

केवल सूचना की सामग्री को साबित करने के उद्देश्य से, पार्टी के अनुरोध का खुलासा करने पर, प्राप्त करने वाला पक्ष या तो गोपनीय पार्टी के रूप में सभी जानकारी प्राप्त करेगा, जो गोपनीय जानकारी के रूप में प्राप्त हुई है या वह खुलासा करने वाली पार्टी को प्रमाणित करेगा कि ऐसी सूचना वाले सभी मीडिया को नष्ट कर दिया गया है। बशर्ते, कि सूचना की एक अभिलेखीय प्रति प्राप्त करने वाले पक्ष के वकील की फाइलों में रखी जा सकती है ।.

4. गोपनीय जानकारियों की स्वामित्व

डिस्क्लोज़िंग पार्टी को सभी गोपनीय सूचनाओं का मालिक या उसके एजेंटों द्वारा प्राप्त करने वाली पार्टी या उसके एजेंटों के लिए समझा जाएगा, जिसमें बिना किसी सीमा के सभी पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, व्यापार रहस्य और अन्य मालिकाना अधिकार और हित शामिल हैं। उसमें, और प्राप्त करने वाली

पार्टी स्वीकार करती है और सहमत होती है कि इस समझौते में शामिल कुछ भी प्राप्त नहीं किया जाएगा, जो कि लाइसेंस प्राप्त करने या अन्यथा किसी गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने वाले पक्ष को कोई अधिकार प्रदान करता है। गोपनीय जानकारी "के रूप में" सभी दोषों के साथ प्रदान की जाती है।
जानकारी का खुलासा करने या इस समझौते को निष्पादित करने से, किसी भी ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, मुखौटा कार्य सुरक्षा अधिकार, व्यापार रहस्य या किसी अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत, खुलासा करने वाली पार्टी स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कोई लाइसेंस नहीं देती है।

किसी भी स्थिति में गोपनीय जानकारी की सटीकता या पूर्णता के लिए अस्वीकरण पक्ष उत्तरदायी नहीं होगा। जानकारी प्राप्त करने वाले सभी पक्षकारों को सूचित करता है, जो कि सभी क्षेत्रीय संगठनों को सूचित करता है, जो कि विभिन्न व्यावसायिक अधिकारों और सभी सूचनाओं की जानकारी के अनुसार उपलब्ध हैं या सहायक जानकारी के रूप में। इस गैर-प्रकटीकरण समझौते का निष्पादन और इस समझौते के अनुसरण में सूचना का प्रकटीकरण किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी खरीद या बिक्री करने, या किसी भी प्रकार के किसी भी अतिरिक्त समझौते में प्रवेश करने के लिए किसी भी प्रतिबद्धता, वादे, या उत्पीड़न का गठन नहीं करता है।

5. गोपनीयता भंग करने के प्रति उपाय

1. 1. प्राप्तकर्ता पार्टी सहमत है और स्वीकार करती है कि गोपनीय जानकारी पूरी तरह से खुलासा करने वाली पार्टी (या उसके लाइसेंसकर्ता या एजेंट) के पास है और किसी भी गोपनीय जानकारी के किसी भी अनधिकृत प्रकटीकरण पर यहाँ निषिद्ध या प्रावधानों के उल्लंघन के कारण एक

अपूरणीय क्षति हो सकती है। खुलासा करने वाली पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चोट और क्षति जिसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है और मौद्रिक क्षति के संदर्भ में पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। डिसक्लोजिंग पार्टी का कानून में कोई पर्याप्त उपाय नहीं होगा, और यह कि डिस्क्लोजिंग पार्टी कानून में या इक्विटी में उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अलावा, समय पर प्रारंभिक, अस्थायी या स्थायी या अनिवार्य या अनिवार्य निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार हो सकती है, आदेशों या आदेशों के तहत डिस्क्लोजिंग पार्टी की रक्षा के लिए आवश्यक हो सकता है, या उसके तहत प्राप्त प्रावधानों के प्राप्तकर्ता पार्टी द्वारा किसी भी उल्लंघन के कारण, और प्राप्त करने वाली पार्टी उचित कानूनी फीस और अन्य खर्चों की अस्वीकृति पार्टी द्वारा प्रतिपूर्ति करने के लिए सहमत होती है। इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने के अलावा, डिस्क्लोजिंग पार्टी को भंग करने की तिथि पर प्रचलित बाजार दर पर ब्याज के साथ हर्जाना देने के अलावा।

2. प्राप्त करने वाली पार्टी सहमत है और स्वीकार करती है कि उपरोक्त उल्लिखित उपायों के अलावा कोई भी खुलासा, गलतफहमी, रूपांतरण या बेईमान उपयोग, उपरोक्त उल्लिखित उपायों के अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 के तहत ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए प्राप्त करने वाले पक्ष को आपराधिक रूप से उत्तरदायी बनाते हैं।

6. अवधि

यह अनुबंध ऊपर लिखी पहली तारीख पर प्रभावी होगा और उसके बाद हर समय पूरी ताकत और प्रभाव के साथ जारी रहेगा। हालाँकि यह समझौता पूर्व से प्राप्त

पार्टी को, साथ ही साथ प्रभावी तिथि के बाद खुलासा पार्टी द्वारा बताई गई गोपनीय जानकारी पर लागू होगा। द रिसीविंग पार्टी स्वीकार करती है और इस बात से सहमत होती है कि डिस्क्लोजिंग पार्टी के साथ किसी भी समझौते और संबंध की समाप्ति किसी भी तरह से डिस्क्लोजर पार्टी की गोपनीय जानकारी का खुलासा नहीं करने पर प्राप्त करने वाले पक्ष के दायित्वों को प्रभावित करेगी। गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण का दायित्व पार्टियों को बांध देगा, और उनके उत्तराधिकारी, नामित और असाइनमेंट, सदा।

7. लागू विधि तथा अधिकारिता

यह समझौता भारत के कानूनों के अनुसार पूरी तरह से शासित और संवैधानिक होगा, जिसमें कानून के प्रावधानों के टकराव के बिना गठन और व्याख्या शामिल है। इस समझौते के संबंध में या उसके बाद उत्पन्न होने वाली कोई भी कार्यवाही मुंबई में सक्षम न्यायालय के न्यायालयों के समक्ष लाई जाएगी।

8. पूर्ण समझौता

यह समझौता, इस समझौते के विषय-वस्तु के रूप में पक्षकारों के बीच समझ को स्थापित करता है और सभी पूर्व अभ्यावेदन, चर्चा, और वार्ता को मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिभाषित करता है। यह समझौता केवल लिखित रूप में संशोधित या पूरक हो सकता है, जिस पर दोनों पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं।

9. अधित्यजन

जब तक इस तरह की छूट या सहमति लिखित रूप से या निराकृत पार्टी के विधिवत अटॉर्नी अटॉर्नी की ओर से हस्ताक्षरित नहीं होती है, तब तक किसी भी पार्टी या उसके पक्ष में कोई भी प्रावधान या प्रावधान पार्टी द्वारा माफ नहीं किया

जाएगा। डिस्क्लोजिंग पार्टी द्वारा किसी सहमति या छूट का उल्लंघन या व्यक्त करने से संबंधित या प्राप्त पक्ष द्वारा किसी अन्य या अलग या बाद में उल्लंघन के छूट के लिए सहमति का गठन होगा।

10. पृथक्करणता

यदि इस समझौते का कोई भी प्रावधान अमान्य या अप्राप्य पाया जाता है, तो उस हिस्से को यथासंभव आर्थिक या कानूनी प्रभाव के रूप में प्राप्त करने के लिए मूल प्रावधान में संशोधन किया जाएगा या इसे खत्म कर दिया जाएगा और इस समझौते के शेष पूर्ण बल में रहेंगे।

11. नोटिस

इस अनुबंध के तहत प्रदान की गई या अनुमत किसी भी सूचना को तब दिया जाएगा जब व्यक्तिगत रूप से वितरित (ए) व्यक्तिगत रूप से दिया गया हो, और / या (बी) की पुष्टि टेलीकॉपी / फैक्स द्वारा भेजी गई हो, और / या (सी) लिखित सत्यापन के साथ वाणिज्यिक रातोंरात कूरियर द्वारा भेजा गया हो रसीद, और / या (डी) प्रमाणित या पंजीकृत मेल द्वारा डाक प्रीपेड मेल, वापसी पावती का अनुरोध, और / या (ई) इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा, पार्टी को सूचित करने के लिए, नीचे दिए गए पते पर या ऐसी अन्य जगह पर। जिनमें से दूसरे पक्ष को इस खंड के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया गया है। इस तरह के नोटिस को वास्तविक प्राप्ति पर प्राप्त होने के रूप में माना जाएगा।बशर्ते कि ईसीजीसी को नोटिस मुंबई में कंपनी के प्रमुख कार्यालय में कंपनी सचिवालय विभाग में पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित देयता और ईमेल के साथ दिए जाएंगे।

उपरोक्त वर्णित वर्ष तथा दिन को इन इन पक्षकारों के समक्ष एतद्वारा संबंधित सामान्य मुहरों को अपने यहां लगाया हैं (या यहां अपने संबंधित हाथों और मुहरों को सेट किया है)|

हेतु (लेखा परीक्षा फर्म)

द्वारा : _____

नाम : _____

उपाधि : _____

की उपस्थिति में

गवाह : 1_____

गवाह: 2_____

हेतु (ईसीजीसी लिमिटेड)

द्वारा : _____

नाम : _____

उपाधि : _____

की उपस्थिति में

गवाह : 1_____

गवाह: 2_____